न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 26/2025

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोटेन्ट**
शंकरलाल बामणिया पूर्व पटवारी जीरावल, हाल भू.अभिलेख निरीक्षक, रामपुरा तहसील सिरोही		जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध जिला कलेक्टर सिरोही आदेश क्रमांक/भू.अ./वि.जा./08/5813 दिनांक 08.09.2008 जिसके द्वारा अपीलान्ट को परिनिन्दा तथा निलम्बन काल के दौरान दिये गये निर्वाह भत्ते के अलावा कोई परिलाभ देय नहीं होने के आदेश दण्डित से दण्डित किया गया।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रेवदर, सिरोही उपस्थित है।

निर्णय

दिनांकः 17 नवम्बर, 2025

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर (भू.अ.), सिरोही के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत उन्हें परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.9.2008 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 25.10.2024 को इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर से अपील पर जिला कलेक्टर (भू.अ.), सिरोही से उनकी विभागीय टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रेवदर को दिनांक 06.10.2025 को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2024 में मुख्य रूप से यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा सीसीए नियम 24 के तहत मुझ अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की निःशुल्क प्रतिलिपि आदिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई गई जबकि सीसीए नियमों में युक्तियुक्त समय में निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इसके अतिरिक्त नियम 24 के तहत मुझ अपीलार्थी कार्मिक के अधिकारों का हनन हुआ है, इसी बिनाय पर उक्त आदेश की जानकारी मुझ कार्मिक को पदौन्नति के वक्त नहीं हुई थी। अपीलान्ट जो कि फील्ड सर्विस में रहा है जिसे अपील के बारिकीय नियमों की जानकारी नहीं है। अपीलान्ट ने पदौन्नति बाबत जिला कलेक्टर की भू0अ0 शाखा से दिनांक 10.9.2024 को सम्पर्क करने पर अपीलाधीन आदेश के कारण पदौन्नति नहीं हो सकी। तब उनके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 11.9.2024 को आवेदन कर दिनांक 01.10.2024 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। ऐसे में उक्त जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा इससे पूर्व भी दिनांक 29.9.08 व 29.3.16 को आवेदन प्रस्तुत कर नकले चाही गई थी जो उस समय उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। अतः प्रस्तुत अपील को सीसीए नियम 25 के प्रावधानानुसार अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा विलम्ब को कन्डोन किया जावें।

4. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश में वर्णित आरोप संख्या 4 व 7 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपीलान्ट की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर दिनांक 8.10.1993 को जिला जालोर में हुई थी तब से आज तक अपीलान्ट 31 वर्ष के राजकीय सेवाकाल में सभी प्रकार के कार्य ईमानदारी से संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर चुका है। अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कभी भी प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित नहीं की गई है। अपीलार्थी का पटवार सर्कल जीरावल में पदस्थापन दिनांक 25.8.2003 से 13.01.2004 तक रहा। उक्त पदस्थापन अवधि में अपीलार्थी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से समय पर करता रहा, फिर भी तत्समय के उपखण्ड अधिकारी बिना किसी ठोस आधार व कारणों के अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहने लगे। अपीलार्थी कथित पूर्वग्रहों का खुलासा इस अपील में न कर व्यक्तिगत सुनवाई के समय करना आवश्यक व उचित समझता है।

5. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलार्थी को बिना पर्याप्त आधार व कारणों के दिनांक 13.1.2004 को निलम्बित किया गया तथा जॉच सम्पन्न होने से पहले पेडिंग इनक्वायरी रखते हुए दिनांक 17.11.2004 को बहाल किया गया। अपीलान्ट को निलम्बित अवधि में मुख्यालय तहसील रेवदर न कर आबूरोड किया गया। विभागीय जॉच प्रकरण में अपीलार्थी के नाम जारी नोटिस में पेशी दिनांक 8.1.2005 अंकित की गई, जबकि जांच पत्रावली में कार्यालय प्रति में दिनांक 10.1.2005 अंकित की गई है, जो कि एक कूटरचना का एक अंग है व अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का मानस तत्कालीन अधिकारी के द्वारा प्रदर्शित होता हैं। दिनांक 8.1.2005 को द्वितीय शनिवार का अवकाश था। उक्त दिवस को अपीलार्थी उपस्थित हुआ

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

परन्तु दफ्तर बन्द मिला, अपीलार्थी को आगामी तारीख की सूचना नहीं दी गई और एकपक्षीय विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पन्न कर दी गई। इसके अलावा अपीलार्थी को निलम्बित करने वाले व्यक्ति विशेष को ही जॉच अधिकारी नियुक्त करने से विभागीय जॉच कार्यवाही निष्पक्ष न कर एकपक्षीय कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने जिला कलेक्टर महोदय को अन्य अधिकारियों से निष्पक्ष जॉच करवाने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त आरोपों का जवाब तथ्यात्मक व रेकर्ड के आधार पर जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया गया था लेकिन आरोप संख्या 4 व 7 के जवाब को गंभीरतापूर्वक विचार व मनन नहीं किया गया और परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया।

6. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि उन पर आरोपित आरोपों की विषय वस्तु के सम्बन्ध में संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक होने से यह उल्लेख कर रहा है कि ––

1. ग्राम जीरावल के नामा0 संख्या 984 परत संख्या 1613537 में कॉलम संख्या 9 में व्यवस्थापक मंदिर श्री जीरावल श्री पार्श्वनाथ के नाम दर्ज कर काटा गया एवं लघु हस्ताक्षर किये गये, जिसके लिऐ अपीलार्थी को दोषी माना गया।
2. पंचदेवल सिचांई परियोजना, जल मग्न एरिया अवाप्ति भूमि की सूची क0सं0 1 से 31 तक (पंचदेवल) एवं क0सं0 1 से 4 तक सरण का खेडा की दी थी, जिसकी जॉच गलत की गई एवं पुनः जॉच बाबूसिंह पटवारी से करवाई गई थी। अतः गलत जॉच करने से अवाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही बाधित हुई एवं काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान नहीं हो सका। राजस्व प्रशासन की छवि पर कुप्रभाव पडा, जिसके लिये अपीलार्थी को दोषी माना गया।
3. अपीलार्थी द्वारा नामा0 पंजिका पी–21 में ग्राम जीरावल के नामा0 संख्या 984 का आंशिक इन्द्राज करना एक प्रस्तावक की तरह है जो पटवारी के कर्तव्य में आता है। फिर भू0अ0 निरीक्षक इसकी जॉच करता है, फिर अधिकारिता वाली ग्राम पंचायत/राजस्व अधिकारी उसको निर्णित करते है। इस प्रकार उसमें किसी एन्ट्री को कांटा–छाटा जाता है तो पटवारी की भारी गलती होती है जो रेकर्ड से छेड़छाड का मामला बनता है लेकिन अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसी कोई बात नहीं थी, मात्र पी–21 फार्म में प्रस्तावक के तौर पर आंशिक इन्द्राज करना व सही नहीं लगने से वही रोक देना ऐसे रोजमर्रा के कार्य को आरोप की श्रेणी में मानना नियमों के विपरित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। आरोप संख्या 4 को अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी रूप में सिद्ध नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार से Temper with record नहीं किया है। संस्था के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

लेटर हेड पर मंत्री जीरावलाला पार्श्वनार्थ जैन मंदिर जीरावल के दिनांक 13.1.2004 के साथ 10 वर्ष पुराने आदेशों की छायाप्रति प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी से आशा व अनुशंषा की गई थी कि आवेदक के पक्ष में अपीलार्थी रेकर्ड में अमल दरामद कर दे। जिस पर अपीलार्थी ने बड़ी विनम्रता से अपनी असमर्थता प्रकट कर नियम 142 राज0 रेवेन्य कोर्ट मैन्यूअल पार्ट–।। की ओर आकर्षित कर मंदिर के मैनेजर को केवल इतना कहा कि वर्तमान तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी से लिखित में आदेश करवाकर पेश करे तब नामा0 प्रस्ताव कम्पलीट करूंगा परन्तु उक्त व्यक्ति के द्वारा उच्चाधिकारियों को मिस गाईड कर अपीलार्थी के विरूद्ध निलम्बन का बखेड़ा कर दिया, इसके बाद करीब 04 माह बाद विभागीय जॉच करने हेतु आरोप पत्र जारी कर दिया गया।

7. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि नामा0 एक फिसकल एन्ट्री होने से अपीलार्थी ने मंदिर का कार्य होने से नामा0 की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी परन्तु फैसले व आर्डर की कॉपी पढे जाने पर नामा0 की आगे की प्रकिया को रोक दिया और नामा0 में किये गये आंशिक इन्द्राज अपीलार्थी द्वारा कांटकर गोल घेरा लगाया गया व अपने लघु हस्ताक्षर किये गये। अगर अपीलार्थी की कोई बदनियती व सांठ–गांठ होती तो आवेदक लिखित में शिकायत करते और उसका उल्लेख जॉच रिपोर्ट वगैराह में होता व उनके बयान दर्ज किये जाते, लेकिन ऐसा कोई तथ्य नहीं है। अतः उक्त आरोप प्रमाणित नहीं होता है। फिर भी जिला कलेक्टर महोदय ने जॉच अधिकारी की बात रखने के लिये संदेह को आधार मानकर आरोप माना गया है जो कि निरस्त करने योग्य है।

8. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि आरोपित आरोप संख्या 7 भी अपीलार्थी के विरूद्ध सिद्ध नहीं होता है। भूमि अधिग्रहण प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी के क्लर्क द्वारा उतावलीपूर्ण आग्रह करने पर सद्भाविक तौर व प्रशासनिक हित को देखते हुए कथित सूची का जमाबन्दी से मिलान किया गया और उसमें पाई गई त्रुटियों का अलग पेपर पर इन्द्राज कर उपखण्ड कार्यालय में पेश कर दी थी तथा सूची पर टिप्पणी अंकित की गई कि जमाबन्दी से मिलान किया गया, त्रुटिपूर्ण इन्द्राजों का विवरण अलग से संलग्न किया गया, फिर हस्ताक्षर कर दिये गये। उसमें अपीलान्ट का कोई दोष नहीं था। जिला कलेक्टर, सिरोही ने आरोप की जॉच में गवाह बाबूसिंह पटवारी के बयानों को आधार मानकर आरोप प्रमाणित मान लिया गया, जबकि गवाह बाबूसिंह ने दो अलग–अलग बयानों में भी विरोधाभाषी बयान दिया था। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग से पंचदेवल परियोजना अवाप्ति की लिस्ट दी थी, उसकी मैने जॉच की है, जिनमें नाम, रकबा, कब्जा इत्यादि कमियां थी। आरोपी पटवारी द्वारा की गई जांच

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की कॉपी नहीं दी गई थी एवं दूसरे बयान में यह बताया कि उक्त सूची तहसील से मिली थी, जिसकी प्रति परीक्षा में उसने बताया कि उसकी जानकारी मुझे नहीं है एवं पटवारी द्वारा दी गई सूची जॉच की हुई नहीं थी ऐसे में लगाया गया यह आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं होने से निरस्तनीय है। गवाह ने उपने उच्चाधिकारी उपखण्ड अधिकारी के दबाव में बयान दिये गये थे और उनके बयान को ही आरोप का आधार मानकर आरोपित कर दिया जो खारिज करने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.9.2008 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त कर समस्त परिलाभ दिलवाये जावे।

9. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपील प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का कारण यह रहा है कि अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट के द्वारा कई बार जिला कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नकले दी जाने हेतु निवेदन किया गया था उसके उपरान्त भी समय पर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिली। अब प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर यह अपील पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2008 को निरस्त फरमाकर अपीलार्थी को आरोप संख्या 2 व 3 से दोष मुक्त घोषित किया जाकर परिनिन्दा सम्बन्धी पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त जाने का आदेश पारित किया जावें।

10. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार तहसीलदार रेवदर ने जिला कलेक्टर, सिरोही की ओर से प्रस्तुत टिप्पणी को ही बहस माने जाने का कथन किया तथा द्वारा लिखित बहस पेश की गई है, उसे ही उनकी ओर से अन्तिम बहस माने जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर सिरोही महोदय के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गये दण्डादेश को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया। विभागीय पैरोकार ने यह कथन किया कि अपीलान्ट पर आरोप निर्धारण करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है। विभागीय जॉच प्रतिवेदन विधिवत प्रकिया से तैयार हुआ है जिसे त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। अपीलान्ट ने विभागीय जॉच में सहयोग नहीं किया और बुलाये जाने के उपरान्त भी जॉच में उपस्थित नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त अनुशासनात्मक अधिकारी महोदय ने अपीलान्ट पर आरोपित आरोप संख्या 04 नामा0 में कांट–छांट के सम्बन्ध में सिद्ध माना है। अपीलार्थी के द्वारा ग्राम जीरावल के नामा0 संख्या 984 को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आधा अधूरा भरकर पटवारी स्तर पर ही काटकर लघु हस्ताक्षर किये है। अपीलार्थी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के नामा0 आधा अधूरा दायर कर कांट–छांट करना उनकी बदनियती है, जो कि विभागीय जॉच में साबित हुए है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

11. विभागीय पैरोकार ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट पर आरोपित आरोप संख्या 7 को गलत रिपोर्टस् देने के सम्बन्ध में सिद्ध माना है। अपीलार्थी को सिचांई एरिया की भूमि अवाप्ति हेतु सिंचाई विभाग से प्राप्त खातेदारान की सूची की जांच हेतु उनको उपलब्ध करवाई गई थी, जिस पर अपीलार्थी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी होने के बावजूद अपीलान्ट के द्वारा समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की गई और लम्बे समय बाद अपील पेश की है, जो कि मियाद बाहर है, मियाद बाहर अपील पेश करने का कारण भी सही नहीं बताया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

12. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील एवं अपील पर जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा प्रेषित टिप्पणी का भी अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की अपील पर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व अपील के मियाद बिन्दू को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट ने अपील को अंदर मियाद शुमार करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2024 में CCA नियम 24 के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.09.2008 की एक प्रमाणित प्रतिलिपि अनुशासनिक अधिकारी को युक्तियुक्त समय के अन्दर निःशुल्क देने का प्रावधान होने तथा अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी जाने का कथन किया है तथा उक्त आदेश की जानकारी उन्हें पदोन्नत्ति के वक्त तक नहीं होने का उल्लेख किया है। तब पदोन्नति बाबत् जिला कलेक्टर (भू.अ.) शाखा से सम्पर्क करने पर दिनांक 10.09.2024 को उक्त आदेश की जानकारी होना बताया है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2008 की प्रति तहसीलदार, आबूरोड को भिजवाये जाने पर निर्णय की एक प्रति पर तहसीलदार, आबूरोड के द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 19.09.2008 को अपीलान्ट से प्राप्ति ली गई है। ऐसे में अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी मियाद अवधि में नहीं हो पाई, बिल्कुल ही निराधार एवं असत्य प्रतीत होता है। अपीलान्ट कार्मिक जो कि राजस्व कर्मचारी है तथा विभागीय/कार्यालय के नियमों की भलीभांति जानकारी रखता है, तो ऐसे में नहीं माना जा सकता कि उन्हें इस प्रकार के आदेशों के विरूद्ध अपील करने हेतु मियाद सम्बन्धी नियमों की जानकारी नहीं थी, मानने योग्य नहीं हो सकता है। अपीलान्ट के द्वारा यह अपील उनके उच्च पद पर होने वाली पदौन्नति के समय अपीलाधीन आदेश की बाधा आने के कारण यह मियाद बाधित अपील पेश कर दण्डादेश को निरस्त करवाये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं

विभागीय आयुक्त
जोधपुर

है। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों पर गहनता से मनन एवं चिन्तन करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील मियाद बाधित होने से मियाद बाहर प्रस्तुत की जाने के आधार पर खारिज योग्य है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2008 को यथावत जाता है। निर्णय आज दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर